

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

[भाग—1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर]

शुक्रवार, तिथि 13 मार्च, 1981 ।

विषय-सूची

पृष्ठ

विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की विषयवली के नियम 4 (II) के परन्तुक के अन्तर्गत सभा मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर :

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

सारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (पूरक के

लिए स्वीकृत), 9 एवं 10		1-22
सारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 17, 37, 97, 99		22-25
परिशिष्ट (1) प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	26-57
परिशिष्ट (2) (प्रश्नों के लिखित उत्तर)		58-120
वैयक्तिक विषय		121

टिप्पणी :—किन्हीं भी मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपने साक्ष्य संशोधित नहीं किये ।

श्री धमश्याम सिंह—(1) उत्तर-आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

(2) उक्त ग्रामों के ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए भू-अर्जन एवं स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।

नहर का कमांडे रकवा की जानकारी।

43. श्री जीतन राम मांझी या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि— क्या यह बात सही है कि 30 लाख रुपये की लागत से गया जिलान्तर्गत फल्गु नदी से खिजर सराय प्रखंड की सिंचाई के लिए महमूदा बांच नहर का काम क्रमशः पूरा किया गया है, यदि हाँ तो उक्त नहर का कमांड रकवा कितना है एवं कितनी जमीन की सिंचाई अभी तक हो रही है?

डा० जनसाय सिन्ध, मुख्य मन्त्री—महमूदा सिंचाई परियोजना का अध्ययन व्यय 29-62 लाख रुपये है। मिट्टी का काम लगभग पूरा हो चुका है। संरचना का काम मुख्यतः बाकी है। इस परियोजना का कुल कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर है जिसमेंसे 400 हेक्टेयर में सिंचाई कार्य वर्ष 1980 के खरीफ में किया गया है।

योजना का कार्यान्वयन।

44. श्री जीतन राम मांझी—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि तिलैया डायवर्सन योजना अन्तर्गत ढाढर नदी पर बांध बांध कर नहर द्वारा गया जिला के उत्तरी, बजीरगंज एवं फतेहपुर प्रखंड को सिंचाई सुविधा देने की योजना 1974-75 में स्वीकृति हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना कार्य का बंटवारा मुख्य अभियंता, सिंचाई, रांची को पक्का काम करने एवं मुख्य अभियंता, सिंचाई पटना को नहर खोदने का भार सौंपा गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि अभी तक उक्त दोनों मुख्य अभियंताओं द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लम्बित योजना का कार्यान्वयन शीघ्र करना चाहती, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री० लक्ष्मण मिश्र, मुख्य मन्त्री—(1) तिसीया डायवर्सन योजना के प्रारम्भिक कार्यों के लिये 289-00 लाख रुपये के प्रकलन की प्रशासनिक स्वीकृति 14-6-79 को हुई है।

(2) इस योजना के कार्यों का बँटवारा निम्न प्रकार से हुआ है—

मुख्य अभियंता, सिचाई, राँची योजना से सम्बन्धित टनेल का निर्माण एवं अन्य कार्य।

मुख्य अभियंता, सिचाई पटना फतेहपुर बीच तक का फोहरपुर बियर एवं नहर प्रणाली का निर्माण।

(3) इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के तहत यह निर्देश दिया गया था कि केन्द्रीय जल आयोग की अनुशंसा की प्रत्याशा में केवल 289-50 लाख रुपये का व्यय प्राथमिक कार्यों को सम्पन्न करने हेतु दोनों मुख्य अभियंताओं को दिया गया था। इस निर्देश के अनुसार प्राथमिक विस्तृत अनुसंधान, भू-अर्जन, आवास, विशेष यन्त्र-संयन्त्र आदि मदों में कार्य कराया जाना है।

इस योजना को प्राथमिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य मुख्य अभियंता, पटना द्वारा किया जा रहा है।

(4) केन्द्रीय जल आयोग के स्वीकृति के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।

कार्यालय भवन का निर्माण।

48. श्री राम नगीना सिंह—क्या मन्त्री, सिचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गंगा-सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल मनेर, पटना की स्थापना 1975-76 में बाढ़ की बचाव के लिए की गई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रमण्डल कार्यालय मनेर के कार्यालय भवन निर्माण का काम स्थानीय पदाधिकारी की अवकमंथ्यता के कारण अभी तक नहीं हुई है।

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मनेर प्रमण्डल के कार्यालय भवनों का निर्माण कराना चाहती है?